RESEARCH INQUIRY
(An International Peer Reviewed Multidisciplinary Referred Research Journal)
Impact Factor :
ISSN

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में परिवर्तन

डॉ. सब्बल पटेल
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, आई.ई.एस विश्वविद्यालय, भोपाल(म.प्र.)

सारांश : सार्वभौमिक रूप से अनूसूचित जनजाति आदिवासियों के बीच गरीबी से पीड़ित स्थिति के रूप में देखा जाता है। स्वायत्तता राज्य का स्तर और महत्वाकांक्षा के लिए संघर्षों ने पहचान के सवालों को केंन्द्र में रखा है। सरकार के लिए मुख्य कानून और व्यवस्था व समाधान आमतौर पर सैन्य पैक्स पर माना जाता है। समकालीन जनजातियों की राजनीति को समझने के लिये पूर्व औपनिवेशिक काल में जब पहाड़ी और मैदानी लोगों ने विभिन्न पारिस्थितिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया था, को पहचाना और जानना होगा। अकसर दोनों के बीच काफी व्यापार और यहाँ तक कि अतंर्विवाह भी होते थे। मध्य और उत्तर पूर्वी भारत दोनों में समाजशास्त्रीय और ज्ञान मीमांसीय समावेशन तथा भारत में आदिवासियों का चरित्र चित्रण अफ्रीका के समान था। वर्तमान समय में अनुसूचित जनजाति समाज आर्थिक, राजनीतिक में सहभागिता दे रहे हैं। पहले के विचारों से अब विचारधाराओं में थोड़ा बदलाव हुआ है, किन्तु फिर भी अनुसूचित जानजातियों की संख्या पिछड़ी हुई है। उन्हें भी राजनीतिक में भाग लेना चाहिए ताकि उनका विकास मनोबल उच्चतम हो सकें और वें अपने विचारों को रख सके अपने मूल्यों को पहचान सके।

मुख्य शब्द : राजनीति में अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशा।

प्रस्तावना

जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर अफ्रीका है। भारत में जनजातीय समुदाय देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जनजातीय जनसंख्या (0.08 प्रतिशत) की दृष्टि से भारत विश्व में अफ्रीका के बाद प्रमुख स्थान रखता है। देश की कुल जनसंख्या में जनजातीय समुदायों की उल्लेखनीय भागीदारी है। ये समुदाय ऐतिहासिक रूप से वन, पर्वतीय क्षेत्रों तथा नदी घाटियों के आसपास निवास करते आए हैं और अपनी विशिष्ट जीवन–पद्धति, परंपराओं तथा सांस्कृतिक विरासत के लिए पहचाने जाते हैं। वैदिक एवं संस्कृत साहित्य में भी विभिन्न आदिम समुदायों के उल्लेख मिलते हैं, जिससे भारत में जनजातीय समाज की प्राचीन उपस्थिति का संकेत मिलता है। समय के साथ इन समुदायों ने भारतीय सामाजिक संरचना के विकास में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई है।

इन्ही नामों को अन्य धार्मिक एवं पैराणिक ग्रन्थों में भी देखा गया। ब्रिटिश हुकूमत ने शासन की सुविधा के लिये भारत में जो जातियाँ भारतीय वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत नही आती थीं, उन्हे ट्राइब के नाम से सम्बोधित किया। ये जनजातियाँ दूरस्थ वनों, पहाड़ियों, पर्वतों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों मे निवास करती थी। वर्तमान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जनजातीय कार्य विभाग, भारत शासन के अनुसार कुल 613 जनजातियाँ निवास करती है। भारत शासन एवं प्रान्तीय शासन के प्रयासों द्वारा इन आदिवासियों को देश मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं और अन्य समाजों के समान आदिवासी समाज भी विकास एवं परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है। कुछ अत्यधिक दूरस्थ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों के आदिवासी समाज में भी अत्यधिक परिवर्तन देखा जा रहा है। जनजातीय समाज में आ रहे परिर्वतन के मुख्य कारण इस प्रकार है–सकारात्मक प्रभावीकरण, संस्कृतिकरण, पुनर्जनजातिकरण, नगरीकरण, औद्योगीकरण, पश्चिमीकरण एवं इन तमाम तथ्यों के क्रियाशील होने के परिणाम स्वरूप जनजातियों की जीवनशैली में अत्यधिक परिवर्तन आया है।

जनजातीय समुदायों में हो रहे परिवर्तनों को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों दृष्टियों से समझा जा सकता है। आधुनिकता, शिक्षा, नगरीकरण तथा बदलती आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनकी सामाजिक संरचना, पारिवारिक संबंधों, विवाह–परंपराओं, सांस्कृतिक जीवन और आजीविका के

तरीकों में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है। इन बदलावों ने जहाँ एक ओर पारंपरिक जीवन–पद्धति को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर समुदायों में नई संभावनाओं और विकास के अवसर भी उत्पन्न किए हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दृष्टिकोण से जनजातीय विकास का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सक्षम बनाना भी आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा, रोजगार, संसाधनों तक पहुँच, संवैधानिक अधिकारों की जानकारी तथा निर्णय–प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देना जरूरी है। जनजातीय समुदायों के विकास की ऐसी नीतियाँ अधिक प्रभावी हो सकती हैं जो उनकी स्थानीय आवश्यकताओं, परंपरागत ज्ञान और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ें। राजनीतिक सहभागिता और शिक्षा के विस्तार से जनजातीय समुदायों में जागरूकता तथा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इससे वे अपने अधिकारों और समस्याओं के प्रति अधिक सजग होकर विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अतः भविष्य की विकास–नीति में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा समान राजनीतिक भागीदारी को प्राथमिकता देना आवश्यक है। ऐसी समावेशी दृष्टि ही जनजातीय समाज के सतत एवं सम्मानजनक विकास का आधार बन सकती है।

दक्षिण में चेंचस टोडा और कुरूम्बा जैसे जनजातीय समुदाय भी है और अंडमान में जखा ओंगे और सेंटिनली जैसे बहुत छोटे लुप्तप्राय समुदाय है भूतिया भारत में जनसंख्या का एक और बड़ा हिस्सा शामिल है जिसमें विभिन्न गाटों मिजोस, कुकिस, बोडो और अन्य शामिल है। इन सभी समुदायों के साथ एक आदिवासी के तहत बौद्धिक, राजनीतिक और न्यायिक तर्क है कि इन सभी समुदायों के लिए एक सामान्य विशेषता चाहे वे मध्य या भूतिया भारत में हो। हाँलांकि मोड़ और सभी समुदायों में 1991 की जनगणना में लगभग 7.3 मिलियन लोग हैं। उनमें से किसी एक को भी लोगों के रूप में मान्यता नही गई है और न ही उन्हें अन्य भाषाई समुदायों के राज्यों का स्तर दिया गया है। भले ही झारखण्ड एक आदिवासी अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य हो लेकिन बहुजातीय राज्यों के लिए कई अन्य राज्यों के लिए संघर्ष पहले हुआ है।

अनुसूचित जनजातियों की जनजातीय समुदायों को आधिकारिक तौर पर देश में सबसे कमजोर आबादी के रूप में चित्रित किया जाता है जिन्हें विशेष कानूनों की आवश्यकता होती हैं इसके अलावा हाँलांकि निरीक्षणवाद के लिए जनजातीय प्रतिरोध ने यह सुनिश्चित किया है। विशिष्ट नौकरी पेशा व्यवस्थाओं के तहत मुक्त है। वैश्वीकरण वर्तमान आधुनिक समय की पहचान है जिसके कारण सम्पूर्ण ब्रह्यण्ड एक वैश्विक गाँव बन गया है। वैश्वीकरण एक बहुलवादी सामाजिक प्रक्रिया है जिसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एंव धार्मिक क्षेत्रों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. अनुसूचित जनजातियों का सक्रिय सहभागिता को जानना।
2. अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को जानना।
3. अनुसूचित जनजातियों के प्रति व्यवहार एवं मनोवृत्तियों को जानना।
4. अनुसूचित जनजातियों के सामान्य कारणों का पता लगाना।

प्राचीन काल से ही भारत की अपनी एक अलग ही पहचान रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ प्रचलित विभिन्न प्रकार के धर्म मत सम्प्रदाय संस्कृति जातियाँ है परन्तु इन सभी समुदायों में एक समुदाय ऐसा भी है जो यहाँ का मूल निवासी भी है। यद्यपि वह रहन सहन खान पान जीवन शैली विशिष्ट विचारधारा अकेलेपन व गरीबी से त्रस्त है। इसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति या आदिवासी के नाम से जाना जाता है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा

डॉ.ब्रहदेव शर्मा ने 1994 में अपनी पुस्तक 'आदिवासी विकास : एक सैद्धान्तिक विवेचन' किया है कि आदिवासी सामाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को मानव इतिहास के अनवरत परिवर्तन और हमारी वर्तमान राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में गतिशील संरचनात्मक पनिवर्तन के संदर्भ में ही सही अर्थ में समझा जा सकता है। उस स्थल पर अब यह विचारणीय है कि विभिन्न व्यवस्थाओं में प्रशासन कें

लिये निर्धारित भूमिका एक विस्तृत आयाम में होती है और उसका स्वरूप एवं गहराई बहुत भिन्न हो सकते हैं। एक अहस्तक्षेपवादी राज्य में प्रशासन से एक तटस्थ चौखटे के रूप में भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। जिससे सभी आर्थिक बलों को स्वंतत्रापूर्वक प्रचालन के लिये अवसर मिल सकें यह स्थिति आदिवासी अर्थव्यवस्था में आने वाले परिवर्तनों को ठीक प्रकार न समझने का ही सीधा परिणाम हैं। बहुधा यही मान लिया जाता है कि आदिवासी अभी भी पूर्व मुद्रा जीवन धारण अपरिवर्तनीय स्थिति में रह रहा है।

उपकल्पना

अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए कुछ उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। इस अध्ययन की उपकल्पना है– अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

शोध प्रविधि

अध्ययन में द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत साम्रगी संकलन हेतु विभिन्न ग्रंथालयों सरकारी एवं गैर सरकारी स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों, लेखों एवं अभिलेखों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित व अप्रकाशित शोध प्रतिवेदनों, जनसम्पर्क कार्यालयों आदि से प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन कर आवश्यक सामग्रियों का संकलन किया गया हैं। इंटरनेट की सूचना के स्रोतों को प्रमुख रूप से प्रयुक्त किया गया है।

निष्कर्ष

1. जनजातीय सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव

जनजातियों की अपनी स्वयं की सामाजिक व्यवस्था होती है जो कि गोत्र या संगोत्रता (Kinship) पर आधारित होती है। एक ही गोत्र के सभी आदिवासी एक परिवार, वंश, कुल, उपजाति एवं एक ग्राम के रूप में निवास करते है। ये सभी सुख एवं दुःख को मिलकर झेलते हैं। इनमें संगोत्रीय संबंध अत्यधिक गहन होते हैं। समुदाय के किसी भी निर्णय में सम्पूर्ण गोत्र या गोत्र के प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया जाना अनिवार्य होता है, कोई भी निर्णय इनके बिना संभव नही होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक कार्यों में परस्पर सहयोग से ही कार्य किया जाता है। आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव के कारण समीपस्थ क्षेत्रों में आदिवासी नगरीय एवं औद्योगीकरण इकाईयों के समीप बस गये हैं एवं नगरीय जीवन शैली को स्वीकार करते हुए जीवन–यापन कर रहे हैं। इसका प्रमुख प्रभाव उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक पड़ा है। ये नगर की स्वंतत्र जीवन शैली के अनुरूप ढल गए हैं। इनके क्षेत्रों में बस जाने के परिणामस्वरूप ये गोत्रीय बंधन, संयुक्त परिवार कुल के बंधन से बाहर निकल आये हैं। ये अब संगोत्रीय आधारित व्यवस्था के स्थान पर मित्रता पर आधारित समाज में रहने लगे हैं। इस प्रकार से सम्पूर्ण आदिवासी सामाजिक व्यवस्था में परिर्वतन देखा जा सकता है।

RESEARCH INQUIRY

आधुनिकीकरण की व्यवस्था ने जनजातीय परस्पर सामाजिक संबंधों पर भी अपना प्रभाव दिखाया है। एक परिवार, एक कुल एवं एक जातीय व्यवस्था में रहने की वजह से सामाजिक संबंधों का पारस्परिक आदान–प्रदान, उत्सवों, त्यौहारों के अवसरों पर होता था परन्तु जब कोई जनजातीय परिवार नगरीय एवं अन्य क्षेत्रों में बस जाता है तो उनका उनके परिवार से निरन्तर संबंध एवं मेल–मिलाप कम हो जाता है। दूर बस जाने के कारण अपने गांव वापस जल्दी–जल्दी आना महंगा होता है, अतः अपने गाँव आना कम हो जाता है, परिणामस्वरूप सभी उत्सवों, त्योहारों एवं कार्यक्रमों में शामिल होना संभव नही होता है।इस प्रकार का व्यवहार उनके पारिवारिक, सजातीय संगोत्रीय संबंधों को प्रभावित करता है।

जनजातीयों में विवाह संस्था अत्यधिक मजबूत एवं महत्वपूर्ण होती है। विवाह हेतु वर या वधू चुनने के लिये जनजातियों में भी मापदंडों में परिवर्तन हो गये हैं। शिक्षित होने के परिणाम स्वरूप अपने जीवन साथी को अब युवा वर्ग स्वयं ही पसन्द करता है। आदिवासियों में सामान्य निर्धारित आयु से पूर्व अर्थात् बाल्यावस्था में ही विवाह हो जाना आम बात थी, लेकिन पढ़–लिख जाने के कारण अब उनकी विवाह आयु में वृद्धि हो गई है एवं बाल विवाह लगभग समाप्ति की दिशा में हैं। विवाह के दौरान दूल्हा–दुल्हन के पहनावे में भी परिवर्तन देखा जाता है साथ ही दहेज, महंगे उपहारों को देने का

प्रचलन हो गया है। जनजातीय संस्कृति की अपनी विशिष्ट पहचान है, जिसमें पारंपरिक विश्वास, रीति–रिवाज, लोककला, संगीत, नृत्य तथा पारंपरिक ज्ञान प्रमुख हैं। आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव से जनजातीय समुदायों की जीवन–शैली में परिवर्तन आया है। विशेषकर नई पीढ़ी पारंपरिक मूल्यों की अपेक्षा आधुनिक जीवन–पद्धति को अधिक अपनाने लगी है, जिससे सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण की चुनौती बढ़ी है।

2. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

परंपरागत रूप से जनजातीय अर्थव्यवस्था कृषि, वनोपज एवं स्थानीय संसाधनों पर निर्भर रही है, किंतु वर्तमान समय में इसका स्वरूप तेजी से बदल रहा है। औद्योगीकरण, नगरीकरण और बाजार के विस्तार ने जनजातीय लोगों को सेवा, छोटे व्यवसाय, मजदूरी तथा अन्य गैर–कृषि कार्यों की ओर आकर्षित किया है। कृषि में भी पारंपरिक फसलों के स्थान पर बाजार में अधिक मांग वाली सब्जियों एवं अन्य नगदी फसलों का उत्पादन बढ़ा है। साथ ही, वन–उत्पाद, हस्तशिल्प और स्थानीय कलाओं का बाजार से जुड़ाव बढ़ने के कारण इनके माध्यम से आय अर्जित करने के नए अवसर भी विकसित हुए हैं। इस प्रकार आधुनिक बाजार व्यवस्था ने जनजातीय अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता के साथ–साथ बाजार–निर्भरता को भी बढ़ावा दिया है।

3.शिक्षा पर प्रभाव

आदिवासियों में आधुनिकता का सर्वाधिक प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में देखा जा सकता है। नगरीय सभ्यता के सम्पर्क में आने के परिणामस्वरूप आदिवासी समुदाय भी शिक्षा की ओर आकर्षित हुए हैं तथा आधुनिक शिक्षा के महत्व को समझने लगे हैं। आदिवासियों को इस बात का ज्ञान हो चला है कि शिक्षित आदिवासी को आसानी से नौकरी मिल जाती है। आदिवासियों ने यह भी देखा कि शिक्षित व्यक्ति अपेक्षाकृत एक उच्च या अच्छा जीवनयापन कर रहा है एवं नौकरी के द्वारा वह अधिक सम्पन्न हो सकता है। अतः आदिवासी अपने बच्चों का नगरीय क्षेत्रों में अध्ययन हेतु भेजने लगे हैं। यहाँ तक कि अपनी लड़कियों को नगरों के स्कूल–कॉलेजों में भी भेजना पसन्द करते हैं। जागरूकता के फलस्वरूप वे शासन द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित नही रहते हैं। अच्छी–अच्छी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करते हैं, छात्रावास आदि में निवास करते हैं। सम्पन्न परिवार के बच्चों को बड़ी–बड़ी निजी संस्थाओं में अध्ययन एवं नौकरी हेतु भी भेजा जाता है।

4.जनजातीय राजनैतिक संस्थाओं पर प्रभाव

जनजातीय समुदायों की अपनी राजनैतिक व्यवस्था होती है जिसमें ये अपनी विभिन्न प्रकार की पारिवारिक एवं सामुदायिक समस्याओं का निराकरण कर लिया करते हैं। भारतीय कानून व्यवस्था में इनकी मान्यता है। समाज में मुख्य राजनैतिक संस्थाएं, बुजुर्गों की सभा, ग्राम प्रधान, ग्राम पचांयत आदि होती हैं। ये संस्थाएं समाज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण के प्रभाव से परम्परागत राजनैतिक संस्थाओं का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता चला जा रहा है। जनजातियों में अब यह सामाजिक नियंत्रण जनजातीय राजनैतिक संस्थाओं के हाथ से निकलकर सामान्य नागरिको की भांति, पुलिस, थाना, न्यायालय एवं प्रशासन की ओर स्थानान्तरित होता जा रहा है संविधान द्वारा आदिवासियों को विशेष राजनैतिक सत्ता एवं अधिकार दिये गये हैं।

इसी क्रम में विभिन्न राजनीतिक समितियों एवं संगठनों का गठन हुआ है तथा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिला है। महिला मंडलों एवं स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से महिलाएँ ग्राम पंचायत, विधानसभा तथा संसद के आरक्षित पदों पर चुनाव लड़कर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस प्रकार जनजातीय राजनीति में सहभागिता का दायरा बढ़ने के साथ महिलाओं की निर्णय–प्रक्रिया में भूमिका भी सुदृढ़ हुई है।

अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में उपर्युक्त विश्लेषण से अधिक पिछड़े अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिये उपयुक्त कार्मिक व्यवस्था के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होते हैं। सर्वप्रथम है कि भारत में सम्पूर्ण देश के लिए लगभग एक समान कार्मिक व्यवस्था स्थापित की गई है और आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के विभिन्न स्तरों पर अवस्थित सभी क्षेत्रों में एक ही व्यवस्था समान कुशलता के साथ कार्य कर सके और राजनीतिक में सहभागी बन सके। अनुसूचित जनजातियों

में सामाजिक, आर्थिक वैवाहिक परिस्थितियों का निर्वाह करते हुए राजनीतिक में रूचि ले रहे हैं। शैक्षणिक स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में स्तर अभी सामान्य है अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का विकास का स्तर ज्यादा अच्छा नही है, राजनीति को भी कम समझ पा रहे हैं। राजनैतिक स्तर पर अनुसूचित जनजातियों का व्यवहार गांव के वातावरण पर निर्भर है उनका कोई ज्यादा विचार नही होता है।

सुझाव

- अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता है जिससे उनकों अधिकारों एवं कर्तव्यों का अनुभव हो।
- अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक आर्थिक ज्ञान के साथ राजनीतिक ज्ञान का अनुभव करना जिससे वे राष्ट्र के विकास में योगदान देने में सहायक हो सकें।
- अनुसूचित जनजातियों को जातीय, क्षेत्रीय अथवा दलीय मतभेदों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- राजनीतिक दलों को जनजातीय समुदायों को राजनीति में सहज एवं सम्मानजनक स्थान देते हुए उनकी समस्याओं और हितों को अपने कार्यक्रमों में पर्याप्त महत्व देना चाहिए।
- जनजातीय समुदायों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल–विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इससे उनमें आत्मनिर्भरता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति तथा सामाजिक–राजनीतिक निर्णयों में प्रभावी भागीदारी की क्षमता विकसित होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- डॉ.ब्रहदेव शर्मा (1994), मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग भोपाल 4642003, प्राची प्रकाशन नई दिल्ली।
- डॉ. धर्मवीर महाजन एवं डॉ. कमलेश महाजन (2007), विवेक प्रकाशन 7 यू.ए. जवाहर नगर दिल्ली।
- डॉ. हरि प्रसाद जोशी (1994), मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग भोपाल।
- भारत के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को वर्तमान स्थिति का एक विशेष अध्ययन, चांद, प्रकाशन नई दिल्ली, 2010, पृ. 84.
- देव प्रकाश (2020), जातिगत समाज शास्त्र ओमेगा पब्लिकेशन 4378 4 B,G-4 जे.एम.डी. हाऊस गली मुरारी लाल अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली–110002
- जनजातिय समाज का समाज शास्त्र (1994), मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी रवीन्द्रनाथ 461003
- Acharya, Poromesh (1987), Education: Politics and Social Sturcture, in Ghosh, R. and Zachariach, M. (eds.), Education and the Process of change, New Delhi: Sage, pp. 65-79
- Aggarwal, Yash & Sibou, Sarika (1994), Educating Scheduled Castes : A Study of Inter District and Intra Cast Differentials, New Delhi: National Institute of Educational Planning and Administration, pp. 166-169.
- Bairathi, Shashi (1999), State of Education, Tribe Culture, Economy and Health, Jaipure: Rawat Publications, pp. 35-36
- Behera, D.K. et.al. (1999), contemporary Society: Tribal Studies, Vol. IV, Social Concept, New Delhi: Concept Publications, pp.80-88.
- Chalam, K.S. (2000), Impact of Liberalization on Tribal Development in India, in Jogdand, P.G. (ed.), New Economy Policy and Dalits, Jaipur : Rawat, pp. 311-329.

❑❑❑